

बिहार सरकार
मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग


सूचना

बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अवर निबंधक/संयुक्त अवर निबंधक के पदों के लिए अनुशासित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों का सत्यापन (Certificates Verification) मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, विकास भवन, नया सचिवालय, बेली रोड, पटना के प्रथम तल स्थित सभाकक्ष में दिनांक-07.01.2022 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से किया जायेगा :-

क्रमांक	नाम	अनुक्रमांक
1	श्री आशीष कुमार अग्रवाल	104392
2	श्री राजन कुमार	234580
3	श्री केशव राज	370357
4	श्री कुणाल गोस्वामी	468477
5	सुश्री सत्या राय	510070

प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा उनकी छायाप्रतियों की दो-दो स्वअभिप्रमाणित (Self Attested) प्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से लायेंगे:-

1. मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र।
2. इन्टरमीडिएट, स्नातक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
3. अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता से संबंधित मूल प्रमाण-पत्र, जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया हो।
4. अगर अभ्यर्थी पूर्व से किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी कार्यालय में नियोजित/कार्यरत हों तो नियोक्ता द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र (N.O.C)।
5. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित कोटि के SC/ST अभ्यर्थियों के लिए)।
6. बिहार राज्य सरकार की नौकरियों के निमित्त सक्षम स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रिमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (BC/MBC/WBC अभ्यर्थियों के लिए)/EWS प्रमाण पत्र (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए)।
7. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र (विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए)।
8. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश-पत्र।
9. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण-पत्र।
10. पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन विहित प्रपत्र 02(दो) प्रतियों में। विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।
11. अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में इस आशय का शपथ-पत्र कि "सभी प्रमाण-पत्र सही हैं तथा आपके विरुद्ध थाना में अथवा न्यायालय में कोई केस दर्ज नहीं है एवं आपका आचरण प्रतिकूल नहीं है तथा पूर्व में किसी फौजदारी मामले में सजा नहीं हुई है।" उक्त शपथ पत्र का विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।
12. पासपोर्ट साईट का अभ्यर्थी का 04 (चार) नवीनतम कलर फोटो।
13. कोई फोटो दस्तावेज, जो अभ्यर्थी के पहचान को प्रमाणित कर सकें (यथा-आधार कार्ड/पैन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र इत्यादि)।
14. प्रमाण पत्रों के सत्यापन/जाँच में सम्मिलित होने हेतु किसी प्रकार का यन्त्रा भत्ता देय नहीं होगा।


20.12.21
संयुक्त सचिव,

मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग,
बिहार, पटना।